न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	609/2015
सी.आई.एस नंबर	-	614/2015
CNR No.	-	RJBR130006882015
निर्णय दिनाँक	-	23.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	217/2015
पुलिस थाना	-	किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325,
सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	(1) नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल, उम्र 36 वर्ष, (2) बालमुकंद पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 51 वर्ष, (3) हँसराज पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 41 वर्ष, (4) शिवचरण पुत्र मोतीलाल, उम्र 36 वर्ष, निवासीगण- महरावता, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सतीश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक	02.11.2015
एफ.आई.आर. की दिनाँक	02.11.2015
आरोप पत्र की दिनाँक	07.12.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक	10.03.2016
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	23.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक	23.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो) सुनवाई की दिनाँक	23.03.2026

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि
01.	नरेन्द्र	-	-	341, 323,	दोषसिद्धि	चरण क्रम	-

				324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.		31 में वर्णित	
02.	बालमुकंद	-	-	341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्धि	चरण क्रम 31 में वर्णित	-
03.	हँसराज			341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्धि	चरण क्रम 31 में वर्णित	-
04.	शिवचरण			341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्धि	चरण क्रम 31 में वर्णित	-

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	लड्डूलाल	परिवादी/चश्मदीद साक्षी
PW-2	जगदीश	मौका साक्षी/चश्मदीद साक्षी
PW-3	रामचरण	चश्मदीद साक्षी/मजरूब
PW-4	हरलाल	चश्मदीद साक्षी
PW-5	लालबहादुर सिंह	अनुसंधान अधिकारी
PW-6	रामस्वरूप	मौका साक्षी
PW-7	डॉ. सतीश अग्रवाल	चिकित्सकीय साक्षी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.01, 05	लिखित तहरीरी रिपोर्ट
02.	प्र. पी.2 पी.ड.01, 02, 05, 06	फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल
03.	प्र. पी.3 पी.ड.02	पुलिस बयान गवाह जगदीश
04.	प्र. पी.4 पी.ड.05	चाक एफ.आई.आर.
05.	प्र. पी.5 पी.ड.05	चार्जशीट
06.	प्र. पी.6 पी.ड.07	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब रामचरण
07.	प्र. पी.7 पी.ड.07	एक्स-रे कवर नोट मजरूब रामचरण
08.	प्र. पी.8 पी.ड.07	एक्स-रे प्लेट मजरूब रामचरण

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

निर्णय **दिनाँकः 23.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 02.11.2015 को परिवादी/शिकायतकर्ता लड्डूलाल पुत्र रामचरण ने सी.एच.सी. किशनगंज, जिला बारां (राज.) पर लालबहादुर हेड कानि. पुलिस थाना किशनगज, जिला बारां (राज.) को एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनाँक 02.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे वह तथा उसके पिताजी रामचरण उनकी मोटरसाईकिल CT 100 बजाज से उनके खेत से गाँव गीरपट्टा जा रहे थे। वह पीछे बैठा था, उसके पिताजी मोटरसाईकिल चला रहे थे। उसके पिताजी गीरपट्टा रहते हैं। ज्यों ही वे महरावता गाँव के खुरा पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही नरेन्द्र, बालमुकंद, हँसराज व शिवचरण, हाथों में कुटिया, लकड़ी, लौहे का पाईप लेकर खड़े थे, जिन्होंने आड़े फिरकर उनकी मोटरसाईकिल को रोक लिया। बालमुकंद ने पाईप की उसके पिताजी के सामने सिर में, नरेन्द्र ने लकड़ी की, हँसराज ने कुटिये की सिर में मारी, खून निकल रहा था। उसके पिताजी मोटरसाईकिल सहित गिर पड़े तो इन लोगों ने उनके पड़े-पड़े के मारपीट की। वह तथा उसके पिताजी चिल्लाये तो उसके दाजी हरलाल व जगदीश आये, जिन्होंने तथा उसने उसके पिताजी का बीच-बचाव किया और मुलजिमान मारपीट कर भाग गए। पुरानी रंजिश को लेकर मुलजिमान ने मारपीट की

है.....इत्यादि। उक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217/2015 अंतर्गत धारा 341, 323, सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नरेन्द्र, बालमुकंद, हँसराज व शिवचरण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोपों को पृथक-पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

4. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्तगण ने परिवादी के पिताजी मजरूब रामचरण के साथ धारदार व कुंद हथियार से मारपीट कर उपहतियाँ कारित की हैं, जिसकी ताईद सभी गवाहान करते हैं और मजरूब के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चोट प्रतिवेदन से होती है। इसलिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि अभियुक्तगण को झूंठा फँसाया गया है। मजरूब के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। परिवादी पी.ड.01 लड्डूलाल ने जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके पिताजी के पैर व हाथ में जो चोट आयी, वही नीचे गिरने से आई थी। गवाह पी.ड.03 रामचरण भी कथन करता है कि वह मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया था। इस प्रकार मोटरसाईकिल के नीचे दबने से उसके चोट आयी थी, न कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने से चोट आयी थी। गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल ने आगे यह कथन किया है कि हँसराज के एक हाथ में कुटिया व एक हाथ में लकड़ी थी। कोई व्यक्ति दोनों हाथों में हथियार लेकर मारपीट नहीं कर सकता। तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी ने हरलाल व जगदीश को चश्मदीद साक्षी बताया है, परंतु गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल दौराने जिरह मौके पर हरलाल व जगदीश का मौजूद नहीं होना बताता है। गवाह पी.ड.02 जगदीश पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है। गवाह पी.ड.03 रामचरण दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि किस व्यक्ति ने कहाँ मारी, उसे पता नहीं है। गवाह पी.ड.04 हरलाल जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब रामचरण का नीचे गिरा होना बताता है, जबकि

गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल दौराने जिरह हरलाल व जगदीश का मौके पर मौजूद होने से ही इंकार करता है। गवाह पी.ड.04 हरलाल आगे बताता है कि घटनास्थल पर उसने उसके अलावा रामचरण, जगदीश और लड्डू को ही देखा था। इस प्रकार अभियुक्तगण की उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। किस अभियुक्त ने मजरूब के कहाँ चोट मारी तथा किस हथियार से चोट मारी, यह कोई साक्षी नहीं बता पाया है। शिवचरण के बारे में किसी साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि तहरीरी रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है तथा किसने लिखी, वह नहीं बता सकता, उसने हस्ताक्षर किए थे। गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनाँक 02.11.2015 को समय 12.30 पी.एम. के लगभग मौजा महरावता गाँव के खुरे के पास अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी लड्डूलाल एवं उसके पिता रामचरण को निश्चित दिशा में जाने से विधि विरूद्ध रूप से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित कर फरियादी के पिता मजरूब रामचरण के साथ स्वेच्छया कुंदालय व धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा मजरूब रामचरण के साथ कुंदालय से मारपीट कर उसके बांये हाथ की मेटाकार्पल अस्थि में भंग कर मजरूब रामचरण को स्वेच्छया गंभीर उपहतियाँ कारित की ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी लड्डूलाल ने घटना के बाद पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) में लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पेश की, जिसमें उसके पिता रामचरण के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना बताया गया है, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर अभियुक्तगण को आरोपित किया गया है। उक्त को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 07 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है।

9. पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी पी.ड.01 लड्डूलाल है, जो परिवादी/शिकायतकर्ता होकर चश्मदीद साक्षी भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि करीब 09-10 साल पहले वह और पिताजी खेत से मोटरसाईकिल से होकर गीतपटा जा रहे थे। बिरधीलाल जी के मकान के पास 4-5 लोग घात लगाकर बैठे थे, जिनमें नरेन्द्र, शिवचरण, हँसराज, बालमुकंद थे, जिनके पास लकड़ी, लौहे का पाईप था। घटना

दिन के 12.30 बजे की थी। सभी ने मिलकर उसके पापा के साथ लकड़ी व पाईप से हमला किया। उसके पिताजी मोटरसाईकिल चला रहे थे। जैसे ही हमला किया तो वे मोटरसाईकिल से गिर गए और उसके पिताजी का पैर मोटरसाईकिल के नीचे आ गया। उसके पिताजी के सिर, हाथ और शरीर पर कई जगह लगी थी। वह पिताजी को बैठाकर किशनगंज थाने में आया, फिर पुलिस वाले अस्पताल लेकर गए, जहाँ इलाज कराया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 हैं, जिन प्रत्येक पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** तहरीरी रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं होना तथा किसने लिखी, नहीं बता सकना तथा हस्ताक्षर करना बताता है। गवाह मुलजिमान का घुम पर होने से उन्हें दूर से नजर नहीं आना बताता है। गवाह आगे बताता है कि बालमुकंद के पास पाईप, नरेन्द्र के पास लकड़ी थी, इन्होंने सीधे उसके पिताजी के सिर पर मारी, जिससे वे दोनों नीचे गिर गए। उसके पिताजी का एक पैर व एक हाथ मोटरसाईकिल के नीचे आ गया। शिवचरण ने उसके पिता के लातों से मारी थी। हँसराज के एक हाथ में कुटिया व एक हाथ में लकड़ी थी। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि उसके पिता के पैर व हाथ में जो चोट आयी, वह नीचे गिरने से आयी थी।

10. गवाह पी.ड.03 रामचरण हस्तगत प्रकरण में परिवादी पी.ड.01 लड्डूलाल का पिता होकर मजरूब है, जो गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल के समान ही घटना की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि दिनाँक 02.11.2015 को दिन के करीब 12.00-12.30 बजे वह घर से किशनगंज आ रहा था और महरावता नहर का खुरा पर नरेन्द्र, बालमुकंद, शिवचरण, हँसराज ने उसके साथ सरिये और लठ्ठे से मारपीट की और भाग गए, जिससे उसके सिर में 3 चोटें आई, उसका हाथ व पैर टूट गया और बेहोश हो गया। उसके घरवाले उसे थाने लेकर आये, फिर किशनगंज अस्पताल लेकर आये। उसकी चोटों का मुआयना व एक्स-रे हुआ था। उसकी मुलजिमान के साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** अपना और अपने लड़के लड्डू का मोटरसाईकिल से आ रहे होने पर, मुलजिमान का छुपके से खड़े हुए होने और चारों द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट करना बताता है। गवाह आगे बालमुकंद के पास लौहे का पाईप होना, जिसके द्वारा उसके सिर पर मारने व अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताता है। गवाह किस व्यक्ति ने कहाँ मारी, उसे पता नहीं होना तथा सब के द्वारा एक साथ मारना बताता है। गवाह बालमुकंद के अलावा अन्य व्यक्तियों पास लठ्ठ होना बताता है। गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि उसके हाथ और पैरों में चोट मोटरसाईकिल से गिरने की वजह से आयी हो। गवाह वक्त घटना मौके पर उसके व उसके पुत्र के अलावा किसी का मौजूद नहीं होना बताता है। गवाह आगे बताता है कि उसके सिर, हाथ, पैरों में ज्यादा लगने से वह बेहोश हो गया था।

11. हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.ड.02 जगदीश को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 मेंर चश्मदीद साक्षी होना अंकित किया गया है, जो नक्शे मौके का साक्षी भी है, न्यायालय में परीक्षित हुआ है और पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है तथा घटना से स्पष्ट रूप से अनभिज्ञता जाहिर करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

12. गवाह पी.ड.04 हरलाल को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 चश्मदीद साक्षी होना अंकित किया है, जो अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि 10-11 साल पहले दिन के 11.00-11.30 बजे किशनगंज से महरावता साईकिल से जा रहा था। नहर के क्रॉस के पास खुर्रा पर बालमुकंद, नरेन्द्र, हँसराज, शिवचरण थे। बालमुकंद के पास लौहे का पाईप और अन्य के पास लकड़ियाँ थीं, जिन्होंने लकड़ी व पाईप की रामचरण के मारी, जिससे रामचरण नीचे गिर गया और उसके सिर से खून निकल रहा था। रामचरण को उठाकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर थाने लाये और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अस्पताल ले गए। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** जिस वक्त घटना हुई, उस समय अपना किशनगंज से गाँव जा रहा होना तथा दिन के 11.00-11.30 बजे की बात होना बताता है। गवाह आगे बताता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब रामचरण नीचे गिरा हुआ था और वहाँ पर जगदीश आ गया था तथा घटनास्थल पर उसने रामचरण, जगदीश और लड्डू को देखा था। रामचरण बेहोश था, जिसने उसे पानी पिलाया था, उसके बाद लड्डू उसको उठाकर थाने में ले गया।

13. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.06 रामस्वरूप नक्शे मौके का साक्षी है, जो न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में करीब 10 साल पहले रामचरण, बालमुकंद, हँसराज, नरेन्द्र, शिवचरण के आपस में लड़ाई-झगड़ा होने, रामचरण के साथ इन लोगों द्वारा मारपीट करने, जिसको महरावता खुर्रा घटनास्थल से उठाने और किशनगंज अस्पताल लेकर आने तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** घटना 2016 में होना, घटना के 2 दिन बाद पुलिस द्वारा आकर महरावता की रूणडियों में उसके घर पर नक्शा मौका पर साईन करवाना बताता है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.07 डॉ. सतीश अग्रवाल हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में दिनाँक 02.11.2015 को सी.एच.सी. किशनगंज पर एम.ओ. के पद पर कार्यरत होने के दौराने एस.एच.ओ. किशनगंज के प्रतिवेदन पर मजरूब रामचरण का मेडिकल मुआयना करने, उसके कुल 11 चोटें आने, चोट नंबर 2 गंभीर प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होने, शेष चोटें साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होने तथा सुसंगत फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने**

जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी.6 की चोटें सख्त सतह पर गिरने-पड़ने से आना संभव बताता है।

15. अब हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण साक्षी पी.ड.05 लालबहादुर सिंह अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में दिनाँक 02.11.2015 को थाना किशनगंज पर हेड कानि. के पद पर कार्यरत होने के दौराने फरियादी लड्डूलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करने, दौराने अनुसंधान नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 मुर्तिब करने, गवाहान के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली करने, मजरूब की एम.एल.सी. व एक्स-रे शामिल पत्रावली करने, मुलजिमान के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. साहब को पेश करने तथा सुसंगत फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 अस्पताल किशनगंज में देने, मजरूब रामचरण का दिनाँक 02.11.2015 को बयान देने की स्थिति में नहीं होना तथा परिवादी के बयान भी दिनाँक 02.11.2015 को नहीं लेना बताता है। गवाह आगे बताता है कि फरियादी लड्डूलाल ने रिपोर्ट किससे लिखायी थी, उसे पता नहीं है तथा घटना के वक्त अन्य कोई चश्मदीद गवाह मौजूद था या नहीं, इसका उसे पता नहीं है। उसने जो फरियादी ने गवाह बताये, उनके बयान लिए हैं। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि गवाह जगदीश व हरलाल ने किस स्थान पर खड़े होकर घटना देखी, वह बात नक्शे मौके में नहीं दर्शायी तथा उसने मुलजिमान से कोई हथियार जप्त नहीं किए।

16. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 फरियादी लड्डूलाल द्वारा दर्ज करवायी गई है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना दिनाँक 02.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे की है और अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के पिताजी रामचरण के साथ मारपीट की गई है। उसके पश्चात परिवादी उसके पिताजी रामचरण को लेकर थाने पर जाता है और फिर अस्पताल जाता है। अस्पताल में तहरीरी रिपोर्ट परिवादी लड्डूलाल द्वारा पेश की जाती है और तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 की पुश्त पर कार्यवाही पुलिस में मजरूब की चोटें का वर्णन अंकित किया जाता है और प्रकरण दर्ज किया जाता है। मजरूब रामचरण के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल घटना के तुरंत बाद ही समम 01.30 पी.एम. पर किया जाता है। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब रामचरण प्रदर्श पी.6 में मजरूब के शरीर पर कुल 11 चोटें कारित होना, जिसमें से चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की व अन्य सभी चोटें सामान्य प्रकृति की पायी जाती हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.07 डॉ. सतीश अग्रवाल अपने बयानों में करता है।

17. उक्त के संबंध में गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल अभियुक्तगण नरेन्द्र, शिवचरण, हँसराज व बालमुकंद के पास लकड़ी व लौहे के पाईप होना और सभी के द्वारा

मिलकर उसके पिताजी के साथ मारपीट करने, जिससे उसके पिताजी का मोटरसाईकिल से नीचे गिर जाने और उनके सिर, हाथ और शरीर पर कई जगह चोटें आने का कथन करता है। इसी प्रकार स्वयं मजरूब गवाह पी.ड.03 रामचरण उसके साथ अभियुक्तगण नरेन्द्र, बालमुकंद, शिवचरण व हँसराज द्वारा मारपीट करने का स्पष्ट रूप से कथन करता है।

18. इसके तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का अवलोकन करते हैं तो परिवादी लड्डूलाल ने हरलाल व जगदीश का मौके पर मौजूद होना अंकित किया है, यद्यपि गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल ने अपनी जिरह में यह बताया है कि मौके पर हरलाल व जगदीश मौजूद नहीं थे, परंतु गवाह पी.ड.04 हरलाल न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जो घटना की पूर्णतः ताईद करता है कि जब वह महरावता जा रहा था तो नहर के क्रॉस के पास खुरा पर अभियुक्तगण बालमुकंद, नरेन्द्र, हँसराज, शिवचरण ने लकड़ी व पाईप की रामचरण के मारी थी। गवाह पी.ड.04 हरलाल दौराने प्रतिपरीक्षण स्पष्ट रूप से कथन करता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब रामचरण नीचे गिरा हुआ था उसने घटनास्थल पर रामचरण, जगदीश और लड्डू को ही देखा था। इसलिए यदि यह मान भी लिया जाए कि यह गवाह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँचा है, तब भी इसकी साक्ष्य से अभियोजन कहानी को बल मिलता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब रामचरण नीचे पड़ा हुआ था और उसके चोट लगी हुई तथा बेहोश था। इसी प्रकार घटनास्थल पर मौजूद स्वयं गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा उसके पिता रामचरण के साथ मारपीट करने का कथन करता है, जिसके संबंध में मजरूब रामचरण का मेडिकल हुआ है।

19. उक्त के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का अवलोकन करते हैं तो घटना के करीब एक घंटे बाद ही कार्यवाही पुलिस का अंकन किया जाता है, जिसमें मजरूब रामचरण की चोटों का वर्णन किया जाता है, जिसमें स्वयं अनुसंधान अधिकारी लालबहादुर द्वारा मजरूब की चोटें देखी गयी हैं, जिसके एक चोट सिर के ऊपर खून आलुदा, एक चोट सिर में बांयी तरफ खून आलुदा, बांये हाथ के पंजे पर सूजन, अँगूठे व अँगुली के बीच में खून आलुदा चोट, ऊपर वाले चोट पर खून आलूदा चोट, दाहिने पैर की पिण्डली पर सूजन, घुटने पर रगड़ आना अंकित किया हुआ है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी.6 का अवलोकन करते हैं तो उसमें भी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के कार्यवाही पुलिस के पृष्ठांकन में अंकित चोटों के समरूप चोटें आना अंकित है, जिसकी ताईद स्वयं चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.07 डॉ. सतीश अग्रवाल करता है।

20. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस यह उज्र लिया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, बल्कि मजरूब रामचरण मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया था, जिससे उसके हाथ व पैर में चोट आयी है, जिसे स्वयं परिवादी पी.ड.01 लड्डूलाल व मजरूब पी.ड.03 रामचरण ने स्वीकार किया है। इस संबंध में गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल व मजरूब पी.ड.03 रामचरण

की साक्ष्य का अवलोकन करते हैं तो अवश्य ही गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार करता है कि उसके पिताजी मोटरसाईकिल से नीचे गिर गए थे, जिनका एक पैर व एक हाथ मोटरसाईकिल के नीचे आ गए थे और उसके पिता के पैर व हाथ में जो चोट आई थीं, वह नीचे गिरने से आयी थीं। गवाह पी.ड.03 रामचरण स्पष्ट रूप से दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को अस्वीकार करता है कि उसके हाथ और पैरों में चोट मोटरसाईकिल से गिरने की वजह से आयी थी। इस संबंध में यदि यह मान भी लिया जाए की मजरूब रामचरण के शरीर पर जो चोटें आयी, वह मोटरसाईकिल से नीचे गिरने से आयी हो, तब भी स्पष्ट रूप से गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल व पी.ड.03 रामचरण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण ने लठ्ठ व सरिये से मारपीट की थी, जिससे वे मोटरसाईकिल से नीचे गिर गए थे और उक्त चोट मजरूब रामचरण के मोटरसाईकिल से नीचे गिरने से आयी है। साथ ही अभियुक्तगण ने अपने बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 सीआर.पी.सी. में भी इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि मजरूब के जो चोटें आयी हैं, वह मोटरसाईकिल से गिरने से आयी हो, न कि मारपीट से, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना होने के तुरंत बाद मजरूब रामचरण का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में चोटों का वर्णन है। चोटों का कारण अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना गवाहान ने बताया है, जिससे मजरूब रामचरण मोटरसाईकिल से गिर गया था और इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर चोटें आयी थीं। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा किये गए कृत्य के परिणामस्वरूप ही मजरूब मोटरसाईकिल से गिर गया था। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

21. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उज्र लिया है कि गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल दौराने प्रतिपरीक्षण कथन करता है कि हँसराज के एक हाथ में कुटिया व एक हाथ में लकड़ी थी, जबकि कोई भी व्यक्ति दोनों हाथों में हथियार लेकर मारपीट नहीं कर सकता। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि सामान्य रूप से दोनों हाथों से एक साथ मारपीट किया जाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है तो दोनों हाथों से भी हथियार चलाकर मारपीट किया जाना संभव हो सकता है और अभियुक्त हँसराज के दोनों हाथों में हथियार होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके द्वारा दोनों हथियारों से मारपीट की गई हो, इसलिए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

22. इसके अतिरिक्त दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उज्र लिया है कि गवाह पी.ड.03 रामचरण दौराने प्रतिपरीक्षण बताता है कि किस व्यक्ति ने कहाँ मारी, उसे पता नहीं है और न ही किसी साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण में से किस व्यक्ति ने किसी हथियार से मजरूब रामचरण के शरीर पर कहाँ पर मारी। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि यदि 4 व्यक्ति चलती हुई मोटरसाईकिल पर अचानक हमला कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में

मजरूब एकदम से घबरा जायेगा। हस्तगत प्रकरण में मजरूब पर चलती हुई मोटरसाईकिल पर हमला होता है और मजरूब रामचरण व उसका लड़का लड्डूलाल नीचे गिर जाते हैं और अभियुक्तगण द्वारा मजरूब रामचरण के साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में मजरूब रामचरण से यह अपेक्षा की जानी कि वह यह बताये कि किस व्यक्ति ने किस हथियार से कितनी चोट उसके शरीर पर कहाँ मारी, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अचानक हमला होने पर अपने बचाव को प्राथमिकता देता है, न ही इस संबंध में यह ध्यान रखता है कि किस व्यक्ति ने कहाँ मारपीट की। उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

23. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह उज्र लिया है कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूब के चोटें कारित नहीं की गई हैं, मजरूब के सख्त धरातल पर गिरने-पड़ने से चोटें आई हैं, जिसके संबंध में गवाह पी.ड.07 डॉ. सतीश अग्रवाल से दौराने जिरह बताया है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.6 की चोटें सख्त सतह पर गिरने-पड़ने से आना संभव है। न्यायालय के विनम्र मत में यह एक काल्पनिक प्रश्न है, जबकि मजरूब के उक्त चोटें घटना में कारित नहीं हुई हो और उसके सख्त सतह पर गिरने-पड़ने से आयी हों, इस तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्तगण पर था। इस संबंध में अभियुक्तगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जबकि चश्मदीद साक्षी व मजरूब ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने का स्पष्ट रूप से कथन किया है। साथ ही मजरूब रामचरण के शरीर पर कुल 11 चोटें कारित हुई है, जिसमें से चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की चोट है, जो कुंद हथियार से कारित चोट है और 2 चोटें साधारण प्रकृति की धारदार हथियार से कारित की गई हैं।

24. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण ने धारा 313 सीआर.पी.सी. में परीक्षण के दौरान मजरूब के सख्त धरातल पर गिरने-पड़ने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, केवल अभियोजन कहानी को गलत होने व झूंठा फँसाने का कथन किया है, जबकि जहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष साक्षियों द्वारा घटना का पूर्ण विवरण बताया हो व अन्य साक्ष्यों से उनकी पुष्टि हो रही हो, पेश की जा रही हो, जिसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ऐसी स्थिति में मात्र काल्पनिक प्रश्न, जिसका चिकित्सकीय साक्षी का सकारात्मक जवाब दिया जाने मात्र से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होते हैं और अभियुक्तगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित नहीं की गई हो और मजरूब रामचरण के गिरने-पड़ने से चोटें आई हों। उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

25. इसके अतिरिक्त दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह उज्र लिया है कि अभियुक्त शिवचरण के बारे में किसी भी गवाहान ने मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और अभियुक्त शिवचरण की घटना में संलिप्तता नहीं है। इसके संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का ध्यानपूर्वक

अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी लड्डूलाल ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 स्पष्ट रूप से शिवचरण का नाम अंकित किया है। गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल व पी.ड.03 रामचरण स्पष्ट रूप से अभियुक्त शिवचरण द्वारा मारपीट करना बताते हैं। साथ ही गवाह पी.ड.04 हरलाल व पी.ड.06 रामस्वरूप भी शिवचरण का घटनास्थल पर मौजूद होना व मरपीट करना बताते हैं। गवाह पी.ड.03 रामचरण स्पष्ट रूप से कथन करता है कि सब ने उसके साथ एक साथ मारपीट की थी। गवाह पी.ड.01 लड्डूलाल स्पष्ट रूप से कथन करता है कि शिवचरण ने उसके पिता के लातों से मारी थी। इस प्रकार सामान्य आशय के अग्रसरण में सभी अभियुक्तगण द्वारा मजरूब रामचरण के साथ मारपीट की गई है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग कृत्य बताया जाना न तो संभव है और न ही विधि द्वारा अपेक्षित है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

26. अतः अभियोजन इस तथ्य संदेह से परे साबित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनाँक 02.11.2015 को समय 12.30 पी.एम. के लगभग मौजा महरावता गाँव के खुरे के पास अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी लड्डूलाल एवं उसके पिता रामचरण को निश्चित दिशा में जाने से विधि विरूद्ध रूप से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित कर फरियादी के पिता मजरूब रामचरण के साथ स्वेच्छया कुंदालय व धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा मजरूब रामचरण के साथ कुंदालय से मारपीट कर उसके बांये हाथ की मेटाकार्पल अस्थि में भंग कर मजरूब रामचरण को स्वेच्छया गंभीर उपहतियाँ कारित की। अतः **अभियुक्तगण नरेन्द्र, बालमुकंद, हँसराज व शिवचरण** को आरोपित अपराध **अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के आरोपों में **दोषसिद्ध** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

27. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण क्रम 01.** नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल, उम्र 36 वर्ष, **02.** बालमुकंद पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 51 वर्ष, **03.** हँसराज पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 41 वर्ष व **04.** शिवचरण पुत्र मोतीलाल, उम्र 36 वर्ष, निवासीगण- महरावता, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) को **आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के आरोपों में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

- सजा के बिंदु पर सुनवाई -

28. सजा के बिंदू पर सजा के बिंदु पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिए हैं कि अभियुक्तगण लंबे समय

से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण नवयुवक, पशुपालक व गरीब व्यक्ति हैं, जिनका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने से उसके भविष्य और परिवार पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

29. इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण पर मजरूब रामचरण के साथ मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित करने का गंभीर आरोप है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

30. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते समय अभियुक्तगण के साथ-साथ पीड़ित की स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि अभियुक्तगण ने मजरूब रामचरण को आड़े फिरकर सदोष अवरोध कारित किया और उनके साथ स्वेच्छया कुंदालय व धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण व गंभीर उपहतियाँ कारित की। मजरूब रामचरण के चोट प्रतिवेदन में चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की चोट है और साथ ही 2 धारदार हथियार से कारित चोटें सिर पर है और कुल 11 चोटें मजरूब रामचरण के शरीर पर आयी हैं। इस प्रकार यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। साथ ही ऐसे अपराध से पीड़ित व अन्य लोगों में गंभीर रूप से भय का माहौल उत्पन्न होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- दण्डादेश -

31. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण क्रम 01.** नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल, उम्र 36 वर्ष, **02.** बालमुकंद पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 51 वर्ष, **03.** हँसराज पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 41 वर्ष व **04.** शिवचरण पुत्र मोतीलाल, उम्र 36 वर्ष, निवासीगण- महरावता, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) को **आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाकर **अभियुक्तगण प्रत्येक** को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः-

धारा 341 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में 15-15 दिवस का साधारण कारावास व 250-250/- रुपये कुल 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 01-01 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास।

धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में 06-06 माह का साधारण कारावास व 500-500/- रुपये कुल 2,000/- रुपये

अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास।

धारा 324 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000-2,000/- रुपये कुल 8,000/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 07-07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास।

धारा 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000-2,000/- रुपये कुल 8,000/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 07-07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास।

32. उक्त सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

33. धारा 357 सीआर.पी.सी. के तहत जुर्माना राशि में से 15,000/- रुपये बतौर प्रतिकर मजरूब रामचरण को दिलवाए जावें। प्रतिकर की राशि बाद गुजरने मियाद अपील मजरूब रामचरण को दिलवायी जावेगी, इसके संबंध में मजरूब रामचरण को अविलंब तहरीर जारी हो।

34. अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थित होने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस-दस हजार रूपये की प्रतिभूति सहित बंधपत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते है। उक्त जमानत पत्र 06 माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

35. अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में बितायी गयी पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 सीआर.पी.सी. के तहत मूल सजा में से मुजरा किया जावे।

36. अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावे।

37. निर्णय/दण्डादेश की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क दिलवायी जावे।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

38. निर्णय आज दिनाँक 23.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)